"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312]. रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2009—आश्विन 28, शक 1931

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-291/गृह-सी/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-28 (ए) में दिये गये प्रावधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र क्रमांक 4/93/J.S.II, Dated 06th January 1993 में दिये गये निर्देश अनुसार निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को 66-वैशालीनगर, विधान सभा क्षेत्र, जिला दुर्ग उप निर्वाचन-2009 जो कि माह अक्टूबर-नवंबर 2009 में होने जा रहा है के लिए विहित करती है :—

1. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर और

2. राज्य शासन के केडर (strength) में महानिदेशक अथवा उसके नीचे के आरक्षक श्रेणी तक के शामिल ऐसे सभी पुलिस अधिकारी जिन्हें 66-वैशालीनगर विधान सभा क्षेत्र, जिला दुर्ग, उप निर्वाचन माह अक्टूबर-नवम्बर 2009 में होने जा रहा है के लिए दायित्व सौंपा गया है.

यह आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2009 से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि तक प्रभावशील रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 4-291/गृह-सी/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-10-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 20th October 2009

NOTIFICATION

No. F 4-291/Two-Home/C/2009.—In pursuance of the provision of Section 28-A of the Representation of the People Act, 1951 and in view of the directions contained in the Election Commission of India's letter No. 4/93/J.S.II, dated 06th January, 1993, the Government of Chhattisgarh hereby designates the following Police Officers for the purpose of conduct of the Bye-Elections to 66-Vaishali Nagar Assembly Constituency District Durg to be held in the month of October-November 2009.

1. Director General of Police, Chhattisgarh and

2. All the Police Officers of the rank of Director General or below up to the rank of constable borne on the strength of the State Government, entrusted with duties in connection with the conduct of Bye Election to 66-Vaishali Nagar Assembely Constituency District Durg Assembly to be held in the month of October-November 2009.

This order shall be effective from 14th October, 2009 and shall remain in force till the date of declaration of the results of the said elections 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.